

प्रेस नोट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर दिनांक 19.09.2021

03 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में उ०नि० अभिनव मिश्र को अपराधियों की धरपकड़ एवं अपराध पर रोकथाम हेतु लगाया गया था। उ०नि० अभिनव मिश्र मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में आलम चौक पर मौजूद थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल द्वारा मंझरिया से अवैध गांजा के साथ डोमवा ढाला पर आने वाला है, अगर जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० अभिनव मिश्र मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास के बताये गये स्थान पर पहुँचकर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे तभी एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोककर हिकमत अमली से घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम बलिराम उर्फ मिस्टर पुत्र भुल्लुर निवासी मंझरिया बिस्टौल थाना रामगढताल बताया। अभियुक्त बलिराम उपरोक्त के पास 03 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त बलिराम उपरोक्त को उसके जुर्म का बोध कराते हुए समय करीब 00.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

बलिराम उर्फ मिस्टर पुत्र भुल्लुर निवासी मंझरिया बिस्टौल थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं०- 380/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट, थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

03 कि०ग्रा० अवैध गांजा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० अभिनव मिश्र, प्रभारी चौकी आजाद नगर, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
3. हे०का० लोकनाथ सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
4. का० देवेन्द्र सिंह यादव, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
5. का० बबलू यादव, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
6. का० सोनू कुमार, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर